rojgar with ankit

Polity

रिपोर्ट ⇒ भाषा आधारित राज्यों का गठन ✗ = स्वीकार

→ Part- 7

भाग ⇒ भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया

A, B, C, D ⇒ Part- 7 को समाप्त → स्वीकार
क, ख, ग, घ

7 वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग-7 को समाप्त

⇒ 14 राज्य (States)
6 केन्द्र शासित प्रदेश (U.T's)

भारत में 16 राज्य (States) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। ⇒ इनका गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधि० (State Re-organization Act) पारित करना चाहिए।

⇒ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
State Re-Organization Act 1956 ⇒ संसद द्वारा पारित
Passed by the Parliament

इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधि० 1956 के द्वारा 1956 में किया गया

वर्तमान ⇒ 28 राज्य
↳ 8 केन्द्र शासित प्रदेश

इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7 वां संशोधन किया गया और मूल संविधान के राज्यों के चार श्रेणी, यथा - क, ख, ग तथा घ को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।

According to this Act, the 7th amendment was made in the Constitution and the four categories of State of the Original Constitution, namely A, B, C,

and . D. were abolished and 14 States and 6 Union Territories were formed.

फजल अली आयोग ने राज्यों के इस वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया था।

According to this Act. the 7th amendment was made in the Constitution and the four Catgaries of Status of the Original Constitution, namely A, B, C and D. were abolished and 14 States and 6 Union Territories were formed.

नये राज्यों का गठन

राज्य	गठन वर्ष	
• आंध्र प्रदेश	1 अक्टूबर, 1953 ई०	
• गुजरात → 15 →	1 मई, 1960 ई.	
• नागालैंड → 16 →	1 दिसम्बर, 1963 ई.	1956 – 14 राज्य
• हरियाणा → 17 →	1 नवम्बर, 1966 ई.	सिक्किम
• हिमाचल प्रदेश 18 →	25 जनवरी, 1971 ई.	35 CA 1974
• मेघालय[19], मणिपुर[20], त्रिपुरा[21] →	21 जनवरी, 1972 ई.	↳ Associate State सह-राज्य
• सिक्किम → 22 वां राज्य →	16 मई, 1975 ई.	36 CA 1975
• मिजोरम[23], अरुणाचल प्रदेश[24] →	20 फरवरी, 1987 ई.	↳ पूर्ण राज्य का दर्जा
• गोवा → 25 (56 CA 1987) → 25 वां राज्य	30 मई, 1987	

• छत्तीसगढ़ (Madhya Pradesh →	1 नवम्बर, 2000
• उत्तराखण्ड (Uttar Pradesh →	9 नवम्बर, 2000
झारखण्ड →	15 नवम्बर, 2000
तेलंगाना → (29)	2 जून 2014

गोवा ⇒ पुर्तगालियों का अधिकार
- 1510 ⇒ अल्बुकर्क
- 1961 तक इनका अधिकार
- स्वतंत्रता ⇒ भारतीय सेना ने "आपरेशन विजय" → दमन और दीव स्वतंत्र → 1961
- 56 CA 1987 ↓ 1961 गोवा को स्वतंत्र

भारत का 25 वां राज्य

29 वां राज्य ⇒ तेलंगाना ⟹ 2 June 2014 (आंध्र प्रदेश)

2014 - 2019 → राज्य - (29)

2019 → J&K राज्य ✗ → JK - U.T

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 31 अक्टूबर, 2019 को दो नये केन्द्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आये।

Under the Jammu and kashmir Reorganization Act. 2019. two new Union Territories Came into force on 31 October 2019.

(1) JK ⇒ JK 2019 से पहले भारत का एक राज्य (State) था।
(2) लद्दाख

केन्द्र शासित प्रदेश ⇒ 1956 ⇒ (6) → UT'S

(7) - पुदुचेरी
(8) ⇒ JK
(9) ⇒ लद्दाख

वर्तमान ⇒ 8 (UT'S) ← 9 − 1 = (8)

(1) दिल्ली
(2) अंडमान ऽ निकोबार
(3) लक्षद्वीप
(4) चंडीगढ़
(5) दादर नागर हवेली → 26 Jan. 2020 को दादर नगर हवेली ऽ दमन
(6) दमन दीव + ⇒ (1) → दीव (merge) विलय कर दिया गया
(7) पुदुचेरी
(8) JK
(9) लद्दाख ⇒ 2019 में

26 जनवरी, 2020 से "दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली" संयुक्त रूप से केन्द्र शासित प्रदेश बन गये।

From 26 January 2020, "Daman and Diu and Dadra Nagar Haveli" jointly became Union Territories.

इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 संघ शासित क्षेत्र है।
Thus, at present there are a total of 28 States and 8 Union Territories in India.

⇒ 69 वें संविधान संशोधन अधि॰ 1991 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदल कर 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' कर दिया गया।
The 69th Constitutional Amendment Act. 1991 changed the name of the Union Territory of Delhi to 'National Capital Territory of Delhi'.

(नागरिकता (Citizenship)

भारतीय संविधान का भाग-2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है।
Part-2 of the Indian Constitution. Articles 5 to 11 are about Citizenship. India has provision for Single Citizenship like Britain. America has dual Citizenship.

Dual Citizenship
Part (भाग) ⇒ II — ब्रिटेन से ली है — दोहरी नागरिकता
भारतीय नागरिकता — Art. 5-11. भारत में → Single Citizenship — एकल नागरिकता — USA
⇓
गृह मंत्रालय (Home Minister) द्वारा दी जाती है।

rojgar with ankit

अनुच्छेद - 11 के अन्तर्गत संसद को नागरिकता के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति दी गयी है। जिसके तहत् संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया।

Under Article 11, the parliament has been given the power to make laws regarding Citizenship. Under which the Indian Citizenship Act. 1955 has been passed by the Parliament. This Act was amended in the years 1986 1992, 2003, 2005, 2015, and 2019.